संख्या- 33/2015/ 535/35-1-2015-6/8(2)/2014

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन , ,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ: दिनांक: 10 जून,2015*

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि का विभिन्न प्रभागों एवं सामान्य कार्यालय को आवंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 109/3-2/सा0प्र0/2014, दिनांक 11 मई, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-15/2015/ 42/35-1-2015-6/8(2)/2014, दिनांक 15.04.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि **रूपये 16,13,25,000/- (रूपये सोलह करोड.तेरह लाख पच्चीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त धनराशि को राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) के अन्तर्गत (जनशक्ति नियोजन प्रभाग, क्षेत्रीय नियेाजन प्रभाग, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग तथा योजना मानीटरिंग एवं कास्ट मैनेजमेन्ट प्रभाग) तथा महानिदेशक कार्यालय के मध्य उक्त शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित मदों में प्राविधानित कुल धनराशि का वितरण इस प्रकार किये जाने के आदेश दिये गये है कि कुल प्राविधानित धनराशि का 16.5-16.5% की धनराशि जनशक्ति नियोजन प्रभाग/क्षेत्रीय नियेाजन प्रभाग/दीर्घकालीन योजना प्रभाग/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग तथा योजना मानीटरिंग एवं कास्ट मैनेजमेन्ट प्रभाग, प्रत्येक को आवंटित हो एवं शेष धनराशि महानिदेशक कार्यालय के लिए आरक्षित रखी जाये। यदि उक्त आवंटन/वितरण में औचित्यपूर्ण परिस्थितियों के रहते हुए किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में शासन का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

3- उल्लेखनीय है कि राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) को पुराना हैदराबाद में नवनिर्मित भवन कालाकांकर हाउस में शिफ्ट करने के उपरान्त कार्य के सुगमतापूर्वक संचालन हेतु कुछ मदों में अतिरिक्त धनराशि को इस वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमान में समाहित करते हुए धनराशि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार महानिदेशक, राज्य नियोजन, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) को शासनादेश संख्या-15/2015/42/35-

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-2015-6/8(2)/2014, दिनांक 15.04.2015 के साथ संलग्न सूची के मद संख्या-08-कार्यालय व्यय तथा मद संख्या-15-गाडियों का अनुश्रवण और पेट्रोल आदि की खरीद में आवंटित धनराशि का वितरण निम्नवत् किये जाने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि	विभिन्न प्रभागो को सम्मिलित करते हुए आवंटित की जाने वाली धनराशि	सामान्य कार्यालय को अतिरिक्त रूप से आवंटित धनराशि
1	08	कार्यालय व्यय	550	300	250
2	15	गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	450	400	50

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-15/2015/42/35-1-2015-6/8(2)/2014, दिनांक 15.04.2015 में लागू नियम/शर्ते यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

सख्या- 33/2015/535(1)/35-1-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- (क) निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग।
   (ख) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
   (ग) निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग।
   (घ) निदेशक, योजना मानीटरिंग एवं कास्ट मैनेजमेन्ट प्रभाग।
   (ड) निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।